न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 256/2015 **दायरा दिनांक : 04.11.2015**

उनवान

बाबूलाल पुत्र ठाकुरलाल, आयु 66 साल, जाति किराड, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :–

1/1– चम्पालाल पुत्र बाबूलाल, आयु 35 साल, जाति किराड, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

1/2– विष्णु प्रसाद पुत्र बाबूलाल, आयु 24 साल, जाति किराड, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

1/3– शिवदयाल पुत्र बाबूलाल, आयु 32 साल, जाति किराड, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

1/4– लक्ष्मीबाई पुत्री बाबूलाल, आयु 37 साल, जाति किराड, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

1/5– सुशीला बाई पुत्री बाबूलाल, आयु 31 साल, जाति किराड, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

1/6– मथरी बाई बेवा बाबूलाल, आयु 55 साल, जाति किराड, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– बृजेश कुमार पुत्र रामचरण, जाति सुनार, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2– अनिल कुमार पुत्र रामचरण, जाति सुनार, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3— कमलकिशोर पुत्र रामचरण, जाति सुनार, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

4— मनीष कुमार पुत्र बृजेश कुमार, जाति सुनार, निवासी ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री मदन लाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता एवं आलोक गोयल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.03.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या — 58/2014 निर्णय दिनांक 08.09.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम देवरी, तहसील शाहबाद में प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 442/2 रकबा 17 बिस्वा स्थित है । प्रतिवादीगण वादी को अकारण बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ

न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अपने निर्णय दिनांक 08.09.2015 से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सही विवेचना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलांट हैं । गलत रूप से प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं माना है । अपीलांट ने आराजी पर अपना कब्जा होने का कथन किया है एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं, जिस पर विश्वास नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है । रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर वैधानिक कब्जा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है । धारा 145 सी आर पी सी के आदेश होने मात्र से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं माना है । धारा 145 सी आर पी सी की कार्यवाही के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने में कोई बाध्यता नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 145 सी आर पी सी की कार्यवाही के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है और काबिज काश्त है । अपीलांट ने आराजी का बेचान नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता को सन् 1988 में बेची गयी थी । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा है । अपीलांट क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 खाता संख्या नया 392 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते में दर्ज है । रेस्पोडेंट ने जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 442 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा पर वादी प्रार्थी और उनके तीन भाइयों के मध्य बंटवारा होकर अलग अलग खाते दर्ज की गई । इसमें से एक भू खण्ड प्रार्थी वादी व तीनों भाइयों ने संयुक्त रूप से अप्रार्थी के पिता को 26 साल पहले 20,000/– रूपये में विक्रय कर कब्जा संभला दिया था, जिस पर अप्रार्थीगण ने नीव खुदवा कर भरवायी है । इसमें वादी और वादी के भाइयों ने कोई आपत्ति नहीं की है । इसके उपरान्त प्रार्थी व प्रार्थी के भाई और उनके पुत्रगण ने जब कब्जा करने का प्रयास किया तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी और धारा 145 सी आर पी सी के तहत इस पर अप्रार्थी नम्बर 1 का कब्जा घोषित किया गया जिसके खिलाफ निगरानी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निरस्त की गई । सन् 2007 से पूर्व से इस आराजी पर प्रार्थी का कब्जा माना गया है । प्रार्थना पत्र एवं दावा मियाद बाहर है जिसे खारिज किया जाये । पत्रावली पर उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद को निर्णय दिनांक 30.01.2009 की फोटो प्रति और न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 26.03.2007 के निर्णय की प्रति सलंग्न की गई है ।

अपीलांट प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 442/2 रकबा 17 बिस्वा उसके खाते एवं कब्जे की है जिस पर अप्रार्थीगण कब्जा करने पर आमादा है । अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह कथन किया है कि मूल खसरा नम्बर 442 का रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा था जो वादी के अलावा उनके तीनों भाइयों के संयुक्त खाते में थी और बाद में चारों भाइयों ने बंटवार कर अपना अपना खाता अलग करा लिया है । इस आराजी में से एक भू खण्ड प्रार्थी वादी एवं उनके तीनों भाइयों ने संयुक्त रूप से अप्रार्थी के पिता को 26 साल पहले 20,000/– रूपये में बेचकर कब्जा संभलाया था, जिस पर अप्रार्थी का कब्जा है और नींव भरवायी हुई है । जवाब प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा यह भी कथन किया है कि धारा 145 सी आर पी सी के तहत सन् 2009 में अप्रार्थी नम्बर 1 का कब्जा माना गया है और इसकी अपील होने पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सन् 2014 में उपखण्ड अधिकारी के फैसले को बहाल रखा है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अप्रार्थी का है । अतः प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है ।

पत्रावली पर वादी प्रार्थी के द्वारा नकल जमाबंदी की फोटो प्रति पेश की है और अप्रार्थी के द्वारा निर्णय दिनांक 30.01.2009 उपखण्ड अधिकारी एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्णय की प्रति है पेश की है । जिसमें वादग्रस्त आराजी में से 67.5 X 40 वर्गफिट पर अप्रार्थी नम्बर 1 का कब्जा माना गया है । इसके अलावा पत्रावली पर अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । पत्रावली पर जो उपखण्ड अधिकारी एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्णय है उनसे यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी में से 67.5 X 40

वर्गफिट पर अप्रार्थी नम्बर 1 का कब्जा है । इस आराजी पर अपने कब्जे के समर्थन में अपीलांट प्रार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । यही नहीं प्रार्थी ने इन तथ्यों का हवाला भी अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दिया है । इस प्रकार वे क्लीन हैण्ड से भी नहीं आये हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा